अनुदान संख्या 15 – उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 15 - DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3723,10,00			
			4223,11,00	3714,03,73	-509,07,27
पूरक	Supplementary	500,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				509,41,66
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	21,35,00			
			29,85,00	16,51,51	-13,33,49
पूरक	Supplementary	8,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				13,33,93

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचत (₹50907.27 लाख) जुलाई, 2017 और दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹50001.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं, और जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थी। अभ्यर्पित राशि भी (₹50941.66 लाख) कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of grant, the overall savings (₹50907.27 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹50001.00 lakhs obtained in July, 2017 and December, 2017 and constituted 12 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹50941.66 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	36240.00	..	..	..
पु.	R.	-36240.00			
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"				
नागरिक पूर्ति	Civil Supplies				
मू.	O.	326822.00			
पू.	S.	50001.00	362146.51	362141.14	-5.37
पु.	R.	-14676.49			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	2503.00			
			2544.03	2566.17	+22.14
पु.	R.	41.03			

(I) ₹36241.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इनमें से ₹36110.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "नागरिक पूर्ति – निदेशन और प्रशासन" –

(क) "उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" – ₹620.00 लाख;

(ख) "उपभोक्ता मंचों का सुदृढ़ीकरण" – ₹220.00 लाख;

(I) Provision of ₹36241.00 lakhs remained wholly unutilized under nine heads; of these ₹36110.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Civil Supplies - Direction and Administration"-

(a) "Consumer Protection Cell" - ₹620.00 lakhs;

(b) "Strengthening Consumer Fora"- ₹220.00 lakhs;

(ग) "मूल्य स्थिरता निधि" – ₹35000.00 लाख; और

(c) "Price Stabilization Fund" - ₹35000.00 lakhs; and

(खा) "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" – "बाट और माप अवसंरचना का सदृढ़ीकरण" – ₹270.00 लाख।

(B) "Other General Economic Services - Strengthening of Weights and Measures Infrastructure" - ₹270.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriationof part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3456" – "निदेशन और प्रशासन – मूल्य स्थिरता निधि" – ₹315000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹50000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹365000.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कम मूल्य होने के कारण दालों की खरीद कम किए जाने के कारण ₹15000.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "3456" - "Direction and Administration - Price Stabilization Fund" - the original provision of ₹315000.00 lakhs was augmented to ₹365000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹50000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹15000.00 lakhs - due to less procurement of pulses as prices were prevailing below minimum support price.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹167.03 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किन्तु, ₹100.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत और 85 प्रतिशत थीं।

(III) Under two heads savings of ₹167.03 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 12 percent and 85 percent of the sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹357.88 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3456" – "निदेशन और प्रशासन – उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹390.96 लाख था।

2. (I) The above savings were partly (₹357.88 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "3456" - "Direction and Administration - Consumer Protection Cell". Actual excess, however, was ₹390.96 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3475" – "बाट और माप का विनियमन – बाट और माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹118.04 लाख का अधिक व्यय (₹1530.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम क लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3475" - "Regulation of Weights and Measures - Strengthening of Weights and Measures Infrastructure" - excess of ₹118.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1530.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to

शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹1333.49 लाख) दिसंबर 2017 में प्राप्त किए गए ₹850.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई तथा यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (₹1333.93 लाख) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1333.49 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹850.00 lakhs obtained in December, 2017 and constituted 45 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹1333.93 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ Saving - बचत–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	210.00	..	..	..
पू.	S.	135.00			
पु.	R.	-345.00			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	725.00	457.76	458.21	+0.45
पू.	S.	715.00			
पु.	R.	-982.24			

(I) ₹1060.00 लाख का प्रावधान (₹850.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1050.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1060.00 lakhs (including supplementary grant of ₹850.00 lakhs) remained wholly unutilized under four heads; of these ₹1050.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "नागरिक पूर्ति" –

(क) "राष्ट्रीय परीक्षण केन्द्र" – ₹200.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) "बाट और माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" – ₹135.00 लाख; और

(खा) मुख्य शीर्ष "5475" – नागरिक पूर्ति – "बाट और माप अवसंरचना का सुदृढीकरण" – ₹715.00 लाख का पूरक प्रावधान।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद के मूर्त रूप न लिए जाने के कारण अपयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "5475" – "नागरिक पूर्ति – भारतीय विधिक माप – विज्ञान संस्थान, रांची" – ₹225.87 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान मे कटौती किए जाने के कारण हुई।

4. उपभोक्ता कल्याण निधिः–

उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में संशोधन करके 1991 में की गई थी ताकि उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए निधियों का उपयोग बने हुए नियमों अनुसार किया जा सके। वह धनराशि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत विनिर्माताओं को लौटाए जाने योग्य नहीं होती उसे इस निधि में जमा कर दिया जाता है।

उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 25 नवंबर, 1992 को अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात, नियमों को अधिक व्यापक बनाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर इनमें 27 जनवरी, 1994 को और संशोधन किए गए।

(A) Major Head "4552" - "Civil Supplies" -

(a) "National Test House" - ₹200.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(b) "Strengthening of Weights and Measures Infrastructure" - ₹135.00 lakhs; and

(B) Major Head "5475" - "Civil Supplies - Strengthening of Weights and Measures Infrastructure" - supplementary provision of ₹715.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-materialisation of procurement of machinery and equipments.

(II) Under Major Head "5475" - "Civil Supplies - Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi"- saving of ₹225.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to non-procurement of machinery and equipments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

4. Consumer Welfare Fund:-

Consumer Welfare Fund was constituted in 1991 by amending Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) for utilising the funds for welfare of the consumers in accordance with the rules framed. Money which is not refundable to the manufacturers under the Central Excise Act is credited to the fund.

Consumer Welfare Fund rules were notified on 25th November, 1992. Subsequently on the recommendations of the Central Consumer Protection Council, the rules were further amended on 27th

तत्पश्चात् इन नियमों में 16.06.94, 16.01.95 और 13.06.2002 को संशोधन किए गए। इस निधि की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा की गई तथा उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और संरक्षण प्रदान करने के लिए देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा परिचालित किया जाता है।

January, 1994 to make it more broad based. Subsequent modifications to the rules took place on 16.06.94, 16.01.95 and 13.06.2002. Fund has been set up by Department of Revenue but is operated by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for providing financial assistance to promote and protect the welfare of consumers and strengthen the voluntary consumer movement in the country particularly in the rural areas.

वर्ष 2017–2018 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:–

The Account of the Fund for 2017-2018 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	:	26,23,51
प्राप्तियां	Receipts	:	15,73,36
अदायगियां	Payments	:	17,06,61
अंतशेष	Closing Balance	:	24,90,26